7/5 लैण्ड होल्डर — रामोती
अपील नामा०

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7-3-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-3-17 को पेश हो। रीडर	
	14-3-17 पत्रावली पेश ~~हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी ~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है। ~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमणपर ~~है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25-4-17 को पेश हो। रीडर	
	25-4-17 लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित ~~नहीं~~ है। रेस्पो० बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-5-17 को पेश हो।	
	9-5-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/~~ अपीलार्थी/~~रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं~~/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-5-17 को ~~पेश हो।~~ राजस्व कैम्प महूकलां पर पेश हो। रीडर	
	12-5-2017 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प महूकलां पर पेश हुई। अपीलार्थी तहसीलदार गंगापुर उपस्थित है। रेस्पोन्डेन्ट अनुपस्थित है। अपीलार्थी को सुना गया। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अ० जिला कलेक्टर	

निर्णय न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
7/2015	17.6.2015	12.5.2017

तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी ——अपीलार्थी

बनाम

रामोती पत्नी परसादी, मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह0 सपोटरा——रेस्पोन्डेन्ट

अपील विरूद्ध नामन्तरकरण संख्य 290 दि0 12.7.2013 ग्राम महुखुर्द

उपस्थित :– तहसीलदार लैण्ड होल्डर गंगापुर सिटी

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि ग्राम महुखुर्द जमाबंदी सं0 2066–69 के खाता 94 में ख0नं0 209 रकबा 0.12 है0 विष्णुचंद गुप्ता पुत्र रामचरण लाल जाति महाजन निवासी कर्मचारी कॉलोनी गंगापुर सिटी हिस्सा 1/4, रामकन्या धर्मपत्नी कमलसिंह हिस्सा 3/4 जाति गुर्जर निवासी महुखुर्द का खातेदार दर्ज है। खातेदार विष्णु चंद गुप्ता ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र संख्या 1012 दिनांक 14.11.08 से रेस्पोन्डेन्ट रामोती पत्नी परसादी मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह0 सपोटरा को ग्राम महुखुर्द के ख0नं0 209 रकबा 0.12 है0 में से 87/1200 हिस्सा का विक्रय किया है जो भू खण्ड की श्रेणी में आता है जिसका पटवारी हलका महूकलां ने नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 12.7.13 दर्ज किया है। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3/63/ राज0/ग्रुप/2009 दिनांक 28.4.11 एवं परिपत्र दिनांक 25.10.2010 से भूखण्डों के नामान्तरकरण दर्ज किए जाने पर रोक लगाई गई है। पटवारी हलका द्वारा उपरोक्त परिपत्र द्वारा भूखण्डो के नामान्तरकरण दर्ज करने पर रोक होने के उपरान्त भी भूखण्ड का नामान्तरकरण दर्ज किया है जो नियमों के विपरीत है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है। विक्रय किए गए भूखण्ड का उपयोग गैर कृषि कार्य में हो रहा है। उपरोक्त नामान्तरकरण की जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 18.7.14 को कार्यालय में रिपोर्ट पेश करने पर आई। धारा 5 मियाद अधिनियम की दर0 अपील के साथ संलग्न है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि ग्राम सालोदा का नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 12.7.2013 निरस्त फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर

अपील के समर्थन में अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 290 दि0 12.7.13, फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 14.11.08, फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2066 से 2069, फोटोकोपी परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

बहस अपीलार्थी सुनी गई।

अपीलार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। विक्रय पत्र दिनांक 14.11.08 के अनुसार विष्णुचंद पुत्र रामचरण लाल महाजन निवासी कर्मचारी कॉलोनी तह0 गंगापुर सिटी ने रेस्पोन्डेन्ट रामोती पत्नी परसादी मीना निवासी डिकोलीकलॉ तह0 सपोटरा को ख0नं0 209 रकबा 2.12 हैक्टर ग्राम महुखुर्द में से स्वयं के हिस्से में से हिस्सा 87/1200 भूमि विक्रय की है। इस विक्रय का नामान्तरकरण संख्या 290 दि0 12.7.2013 पटवारी हलका द्वारा रामोती पत्नी परसादी के पक्ष में खोला गया है जो राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ 3 (63) राज/ ग्रुप–1/2009 दिनांक 28.4.2011 के विरूद्ध खोला गया है एवं इस परिपत्र के अनुसार अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 290 दिनांक 121.7.2013 ग्राम महुखुर्द निरस्त किया जाता है। पालना हेतु निर्णय की सत्यप्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को मूल नामान्तरकरण सहित प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.5.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी